



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड(ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2002/पौष 21, 1923

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2002/PAUSA 21, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2002

का. आ. 52(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989, के नियम 108 के परन्तुक के खंड(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी यान को जो उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो, निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी,--

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :-

- (1) राष्ट्रपति;
- (2) उपराष्ट्रपति;
- (3) प्रधान मंत्री;
- (4) भूतपूर्व राष्ट्रपति;
- (5) उप प्रधान मंत्री;
- (6) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;
- (7) लोक सभा का अध्यक्ष;
- (8) संघ के मंत्रीमंडल के सदस्य;
- (9) उपाध्यक्ष योजना आयोग;
- (10) भूतपूर्व प्रधान मंत्री;
- (11) राज्य सभा और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता;
- (12) उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश।

(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :-

- (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त;
- (2) भारत का नियंत्रक- महालेखा परीक्षक;

- (3) उप सभापति, राज्यसभा;
- (4) उपाध्यक्ष, लोकसभा;
- (5) संघ के राज्य मंत्री;
- (6) योजना आयोग के सदस्य;
- (7) भारत का महा न्यायावादी;
- (8) मंत्रिमंडल सचिव;
- (9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष; जो पूर्ण जनरल के रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
- (10) संघ के उपमंत्री;
- (11) तीनों सेनाओं के स्थानापन्न अध्यक्ष जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
- (12) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण;
- (13) अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग;
- (14) अध्यक्ष, अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति आयोग;
- (15) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग;

(ग) कोई यान, जो ऐसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं में ऊपर मद "क" और "ख" में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्संबंधी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी हैसियत में रैंक समनुदेशित की गई है, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं; समनुदेशित तत्स्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(घ) यदि कोई यान जिस पर के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा।

(ड) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों जैसे की राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के सभापति, अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि के संबंध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

[फा. सं. आर टी -11028/9/2001 -एम वी एल]  
आलोक रावत, सयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2002

**S.O.52(E).**—In pursuance of powers under clause (iii) of proviso to rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby specifies that a vehicle carrying high dignitaries shall be permitted to use, —

(a) red light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the country : —

- (1) President;
- (2) Vice-President;
- (3) Prime Minister;
- (4) Former Presidents;
- (5) Deputy Prime Minister;
- (6) Chief Justice of India;
- (7) Speaker of the Lok Sabha;
- (8) Cabinet Ministers of the Union;
- (9) Deputy Chairman, Planning Commission;
- (10) Former Prime Ministers;

(11) Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and Lok Sabha;

(12) Judges of the Supreme Court.

(b) red light without flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the country: --

(1) Chief Election Commissioner;

(2) Comptroller and Auditor General of India;

(3) Deputy Chairman, Rajya Sabha;

(4) Deputy Speaker, Lok Sabha;

(5) Ministers of the State of the Union;

(6) Members of the Planning Commission;

(7) Attorney General of India;

(8) Cabinet Secretary;

(9) Chiefs of Staff of the three services holding the rank of full General or equivalent rank;

(10) Deputy Ministers of the Union;

(11) Officiating Chiefs of Staff of the three services holding the rank of Lt. General or equivalent rank;

(12) Chairman, Central Administrative Tribunal;

(13) Chairman, Minorities Commission;

(14) Chairman, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission;

(15) Chairman, Union Public Service Commission.

(c) Any vehicle carrying the dignitary formally designated as equivalent in rank, status and privileges to those dignitaries referred to in items (a) and (b) above shall be entitled to use the red light as per the corresponding privileges. The vehicle carrying the dignitaries assigned rank in their personal capacities by the Ministry of Home Affairs shall be entitled to use red light as per the corresponding privileges assigned to those dignitaries referred to in items (a) and (b) above.

(d) In case of the vehicle fitted with red light on top front is not carrying the dignitaries, then such red light shall not be used and be covered by a black cover.

(e) The State Governments and Union Territory Administrations shall issue similar notifications on the use of red light in respect of high dignitaries of their State Governments or Union Territory Administrations, such as Governor, Lt. Governor, Chief Minister, Chief Justices and Judges of High Courts, Chairman, Speaker and Cabinet Ministers of State/Union Territory Legislatures, etc., as the case may be.

[F.No.RT-11028/9/2001-MVL]  
ALOK RAWAT. Jt. Secy.